(90) 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 05/2017

1. मुस0 हमीदी बेबा इब्राहीम (मृत्तक)
   1/1 रफीक पुत्र सुभान खां जाति मेव
2. मुस0 अमरी पुत्री इब्राहीम जाति मेव निवासी डाठेत तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0। (मृत्तक)

वादीगण

बनाम

1. सुभान खां पुत्र पल्टू जाति मेव निवासी गॉव डाठैत तहसील पहाडी
   असल प्रतिवादी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील पहाडी
   फौरमल प्रतिवादी
3. कमली बेबा पल्टू (मृत्तक)
4. सुभानी
5. बसीरी पुत्रीयान पल्टू जातियाना मेवान निवासीयान ग्राम डाठैढ तहसील पहाडी (भरतपुर)
6. जरीना पत्नि सुभान खां जाति मेव निवासी डाठेत तहसील पहाडी
7. साजिद
8. जाहिद
9. सोयव] पिसरान सुभान खां कौम मेव निवासी ग्राम डाठेट तहसील पहाडी
10. साहिला
11. अरवाना पुत्रीयान सुभान खां] नाबालीगान बलीसरपरस्त खुद भाई साजिद पुत्र सुभान खां कौम मेव निवासी ग्राम डाठेट तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,53, 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री बृजलाल शर्मा वकील वादीगण
श्री सतीश बुन्देला वकील प्रतिवादी नं01,6
श्री यशपाल सैनी वकील प्रतिवादी संख्या 3,4,
श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रतिवादीगण 7ता0 11

दिनांक :– ~~09~~ 22/05/2024

अधिकारी
(डीग)

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, .53 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है आराजी खसरा नम्बर 219/0-17 (0.14),

222/1–12 (0.24), 348/2–19(0.48), 223/1–12 (0.28), 375/1–18 (0.31) 383/0–18 (0.15) 385/0–16 (0.13), 428/0–14 (0.11), 441/0–15 (0.12), 520/0–09 (0.07), 532/2–05 (0.36), 553/1–16 (0.29), 554/1–07 (0.18) 555/1–04 (0.19), 566/1–03 (0.19), 569/1–02 (0.18), 578/1–02 (0.18), 589/1–05 (0.17), 202/0–10 (0.10),206/0.18, 207/0.16, 210/1.46, 211/0.14 (0.11), 214/0–14 (0.11), 215/0–14 (0.12), 218/0–17 (0.14) किता 26 रकबा 31 बीघा , 04 विस्वा (एयर) वाके ग्राम डाटेट तहसील खाजी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पूर्व में वादनी नं0 1 के ससुर व बाबा वादनी नं0 2 व पिता प्रतिवादी पल्टू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। जिस पर वह अपने जीवन काल तक काबिज रहकर काश्त करता रहा था। पल्टू के दो लडके इब्राहीम पति व पिता वादीगण व प्रतिवादी सुभान खां थे जिसमें से उक्त इब्राहीम पति व पिता वादीगण का देहान्त अपने पिता पल्टू के जीवन काल में हो गया था और उसके देहान्त हो जाने के बाद वादीगण व पल्टू व प्रतिवादी शामिल में रह कर आराजी मुत0 को काश्त करते थे। उक्त पल्टू का भी अर्सा करीब 10 साल पूर्व देहान्त हो चुका है और उसके देहान्त होने के पश्चात वादीगण व प्रतिवादी वाहैसियत वारिसान आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्सा पर वादी व हिस्सा बराबर व निस्फ हिस्सा पर प्रतिवादी काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौक पर भी इस वक्त भी आराजी मुतदाविया पर वादीगण व प्रतिवादीगण का निस्फ–निस्फ हिस्से पर कब्जा है। किन्तु पल्टू के मरने के बाद राजस्व कर्मचारियों ने आराजी मुतदाविया के निस्फ हिस्सा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज करने के बजाय सम्पूर्ण रकबा पर अकेले प्रतिवादी को कतई गलत व कब्जा व खिलाफ कानून खातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि पल्टू के जीवनकाल में व ना ही उसकी मृत्यु के पश्चात् आराजी मुतदाविया पर अकेले प्रतिवादी का ना तो भी कब्जा रहा था तथा ना ही इस वक्त है। उक्त गलत इन्द्राज का इल्म वादीगण को दिनांक 10.03.99 को नकल जमाबन्दी मिलने पर हुआ। विदी वजह वादीगण आराजी मुत0 के निस्फ हिस्सा पर वहिस्सा बराबर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज हो रहा है उसे कलमजन करा कर अपने आपको अराजी मुत0 के निस्फ हिस्सा पर वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने की अधिकारी है। वादीगण अपने आपको आराजी मुत0 के निस्फ हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित करा कर अपने हिस्से में आई आराजी के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड में भी विभाजन करा कर पृथक–पृथक खाता कायम करा कर पृथक–पृथक राजस्व लगान निर्धारित करा पाने की अधिकारी है। सम्पर्ण आराजी मुतदाविया से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का ना तो कभी रहा है तथा ना ही इस वक्त है किन्तु राजस्व रिकार्ड में हो रहे अपने नाम के गलत इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतदादिया को दीगर शख्सों को रहन दय मुन्तकिल करना चाहता है। तथा आराजी मुतदादिया से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करना चाहता है तथा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन करना चाहता है तथा लट्ठ व ताकत के बल पर मजाहमत व मदाखलत करता है। जिसकी बाबत प्रतिवादी ने दिनांक 15.03.99 को ऐलानियां धमकी दी है। यदि प्रतिवादी इस इरादे में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी

जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद या अन्य किसी प्रकार से न हो सकेगी। विदी वजह वादीगण प्रतिवादी को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 आराजी मुत0 वर्णित मद नं0 2 वाद में से आराजी ख0न0 348 को छोडकर शेष आराजी मुत0 का दौराने दावा व बावजूद स्थगन आदेश के दिनांक 23.06.2018 को जो दान पत्र प्रतिवादी नं0 6 के पक्ष मे तहरीर कराया गया है। वह दान पत्र सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के तहत अवैध व गैर कानूनी है। जिससे प्रतिवादी नं0 6 को आराजी मुत0 के संबन्ध में कोई हक व हकूक हासिल नहीं होते है। परन्तु प्रतिवादी नं0 6 ने अवैध व गैर कानूनी दान पत्र से जरिये इन्तकाल नं0 733 से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गलत इन्द्राज दर्ज करा लिया जिसे वादनी कलमजन करा पाने की अधिकारणी है। राजस्थान सरकार आराजी की लैण्ड होल्डर है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार पहाडी है राजस्व रिकॉर्ड उनकी तहवील में रहता है दावा विभाजन का है इसलिये उन्हे बतौर फौरमल प्रतिवादी बनाया गया है। उन्हे दफा 80 जा0दी0 म्यादी दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। विनाय मुखास्मत दिनांक 10/03/1999 को नकल जमाबन्दी मिलने पर व दोयम 15/03/1999 को ऐलानिया धमकी नाजायज देने से बांके ग्राम डाठेट तहसील पहाडी अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुयी। वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब प्रतिवादी संख्या 1 ने इस आशय का पेश किया कि आराजी मुतदाविया पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 सुभान खां के पिता पल्टू के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां व दो लडकी बसीरी व सुहानी है प्रतिवादी नं0 1 का भाई आज से करीब 23 साल पहले फौत हो गया उसके एक अमरी लडकी थी प्रतिवादी संख्या 1 भाई इब्राहीम के फौत होने के 2 साल बाद इब्राहीम की बेबा हमीदी ने मुझ प्रतिवादी नम्बर 1 के साथ निकाह कर लिया था और निकाह के तीन साल बाद हमीदी से रफीकी लडका पैदा हुआ तथा लडके के बाद में मरीयम लडकी पैदा हुई थी जो एक साल बाद फौत हो गयी थी हमीदी से पैदा मेरा लडका रफीकी आज भी मौजूद है जो करीब 18 साल का है आज भी हमीदी मेरी पत्नि है । मेरा भाई इब्राहीम मेरे पिता पल्टू के जीवन काल में ही फौत हो चुका था । आज से करीब 13 साल पूर्व मेरा पिता पल्टू भी फौत हो गया था जिस वक्त मेरा पिता फौत हुआ उस वक्त में व मेरी दो बहिन–सुभानी बसीरी तथा मेरी माँ कमली मौजूद थी समस्त आराजी मुतदाविया मेरे पिता पल्टू की खातेदारी की थी पिता की मृत्यु के बाद समस्त आराजी मुतदाविया का दाखिल खारिज मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मेरी दोनो बहिन व मेरी मां की सहमति से हो गया। उसी आधार से समस्त आराजी मुतदाविया मेरे नाम खातेदारी दर्ज हुई तभी से आराजी मुतदाविया पर मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी मौके पर मेरा कब्जा है। वादीगण का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है और नाही रहा है आराजी मुतदाविया की बाबत वादीगण बहकावे मे आकर

Scanned with OKEN Scanner

इनके मन में बदयान्ती आ गई है और वादी जबरदस्ती आराजी मुतदाविया को हडपना चाहते है आराजी की बाबत वादीगण को निस्फ हिस्से पर वाहिस्सा बराबर अपना नाम दर्ज कराने का व पृथक–पृथक खाते कायम तथा पृथक–पृथक राज लगान कायम कराने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और किसी भी कानून के तहत वादीगण रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते है और ना ही वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राज को कलमजन कराने का अधिकार रहते है। मुस्लिम कानून के तहत वादीगण आराजी मुतदाविया की बाबत किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते है और ना ही आराजी मुतदाविया पर वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज करा सकते है। क्योंकि वादी नं0 1 प्रतिवादी नं0 1 की पत्नि है वादी संख्या 2 अमरी जो इब्राहीम की लडकी वह भी मुस्लिम कानून के तहत आराजी मुतदाविया की बाबत कोई रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकती है क्योकि अमरी का पिता इब्राहीम उसके बाबा पल्टू के जीवन काल में ही फौत हो गया है। मुस्लिम कानून के तहत पल्टू की आराजी से वादीगण हमीदी व अमरी का किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कि पल्टू की आराजी वादीगण के नाम दर्ज हो । ऐसी सूरत में वादीगण ने यह दावा मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत से व दूसरों के बहकावे में आकर आराजी मुतदाविया को हडपने की नियत से दावा पेश किया है। आराजी मुतदाविया मुझ प्रतिवादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी की है मौके पर मुझ प्रतिवादी संख्या 1 का ही शान्ति पूर्वक कब्जा है ऐसी सूरत में दावा वादीगण काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाये जावें।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने जबाब इस आशय का पेश किया कि वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र महज प्रतिवादी संख्या 1 सुभान खां को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। आराजी मुतदाविया पूर्व में प्रतिवादीगण के पिता व पति पल्टू के खातेदारी की आराजी थी तथा पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां थे तथा दो लडकी सुभानी व बसीरी तथा पत्नि कमली थी इब्राहीम का देहान्त आज से करीब 42 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण के पिता व पति के जीवन काल में ही हो गया था और इब्राहीम के फौत होने के 2 साल बाद वादनी ने अपना निकाह प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कर लिया था और निकाह के तीन साल बाद हमीदी से लडका रफीक पैदा हुआ तथा लडके रफीक के बाद लडकी मरियम पैदा हुई थी जो एक साल बाद फौत हो गई। हमीदी से पैदा लडका रफीक आज भी मौजूद है जो करीब 37 साल का है तथा आज भी हमीदी प्रतिवादी संख्या 1 सुभान खां की पत्नि है आज से करीब 32 साल पूर्व प्रतिवादीगण के पिता व पति पल्टू के फौत हो जाने के बाद पल्टू की खातेदारी की आराजी मुतदाविया का दाखिल खारिज मां कमली वादनी तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की मौजूदगी में विधिवत तरीके से हम सभी की सहमति से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जो बिल्कुल सही किया गया है तथा उसी समय से प्रतिवादी संख्या 1 ही खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करता चला आ रहा है। वादी ने उक्त दावा दूसरों के बहकावे में आकर गलत तरीके से कर रखा है तथा वादनी का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं

Scanned with OKEN Scanner

है वादनी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि है जिसे कानूनन सुसर की सम्पति में पति के जीवित रहते हुये कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। हम प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4 ने प्रतिवादी संख्या 1 को स्वेच्छा से हमारी मौजूदगी में दाखिल खारिज दर्ज हुआ है तथा उसी वक्त प्रतिवादी संख्या 2 ,3,4 ने अपने –अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा–हमेशा के लिये कब्जा काश्त करने हेतु बता दिया । अब हमारा वाद पत्र में वर्णित आराजी से कोई संबन्ध नहीं है तथा आज भी आराजी मुतदाविया पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त पिता पल्टू के मरने के बाद से ही चला आ रहा है। वादनी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 1 की विवाहित पत्नि है । अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 6,7,8 ने मय वकील उपस्थित होकर जबाब इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के दादा व पिता पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां तथा दो लडकी बसीरी व सुभानी है जो हम प्रतिवादीगण का ताऊ इब्राहीम आज से अर्सा करीब 47 वर्ष दादा पल्टू के जीवन काल में फौत हो गया । जिसकी पत्नि हमीदी व एक लडकी अमरी थी जो दावा दायरी के बाद फौत हो गई। हमीदी ने प्रतिवादी संख्या 1 सुभान खां के साथ इब्राहीम के मरने के 2 साल बाद निकाह कर लिया । निकाह के बाद वाद हमीदी ने हमीदी व सुभान खां के नुत्फे से वादीगण रफीक का जन्म हुआ। जिसकी उम्र अब करीब 42 साल होगी। लडका रफीक के बाद एक लडकी मरियम भी पैदा हुई । एक साल बाद वह फौत हो गई प्रतिवादी संख्या 1 की दूसरी पत्नि जरीना है जो वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 6 है जिसके नुत्फे से हम प्रतिवादीगण संख्या 7 लगायत 11 ने जन्म लिया जो प्रतिवादी संख्या 1 की सन्तान है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के कुल 6 पुत्र पुत्रियां है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया आराजी मुतदाविया पल्टू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी।
.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां पैदा हुये जिनमें से इब्राहीम का देहान्त पल्टू के जीवन काल में हो गया था।
.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 3 :–</u> आया वादनी इब्राहीम पुत्र पल्टू की विधवा वारिस होने के आधार पर आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारणी है।
.....वादीगण

<u>तनकी संख्या 4 :–</u> आया वादनी आराजी मुतदाविया का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम करा पाने की अधिकारणी है।
.....वादीगण

तनकी संख्या 5 :– आया वादनी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने की अधिकारणी है।

.....वादीगण

तनकी संख्या 6 :– आया वादनी इब्राहीम की पत्नि थी इब्राहीम के मरने के दो साल बाद वादनी ने मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निकाह कर लिया था पति के जीवित रहते हुये वादनी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 7 :– आया प्रतिवादी संख्या 3,4,5 ने अपने–अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा–हमेशा के लिये कब्जा काश्त हेतु बता दिया था अब हमारा वाद पत्र वर्णित आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध नहीं है।

.....प्रतिवादीगण

तनकी संख्या 8 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दौराने दावा एवं स्थगन आदेश के दिनांक 14/06/2018 को जो दान पत्र प्रतिवादी संख्या 6 को कराया है उसे वादनी धारा 52 के तहत अवैध व गैर कानूनी घोषित करा पाने की अधिकारी है।

.....वादीगण

9 :– दादरसी :–

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 हमीदी, पी0डब्लू0 2 नजीर, पी0डब्लू0 3 तैय्यव , पी0डब्लू0 4 के शपथ पत्र पेश कर बयान कराये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल फैसला दिनांक 27/03/2022 ,नकल दाखिल खारिज संख्या 733 , नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070, 2043–2047, 2038 , नकल फोटो प्रति परिवार कार्ड , पेश की । साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 सुभान , डी0डब्लू0 2 इस्लाम, डी0डब्लू0 3 जरीना, डी0डब्लू0 4 अली मौहम्मद के शपथ पत्र पेश किये । दस्तावेज साक्ष्य में नकल जनआधार कार्ड, नकल आधार कार्ड, नकल पहचान पत्र, पेंशन आवेदन हमीदी, राशन कार्ड हमीदी, मतदाता सूची हमीदी व सुभान खां, नकल मतदाता सूची सुभान खां ,जरीना, हमीदा, नकल मतदाता सूची जरीना, सुभान खां, हमीदी व रफीक , नकल जनआधार योजन रफीक, नकल राशन कार्ड रफीक, नकल मतदाता सूची रफीक , नकल मतदाता सूची सुभान खां, जरीना, हमीदी बयान गवाह तैय्यव , नकल बयान गवाहन नजीर पेश किये।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने लिखित बहस में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी मुतदाविया पल्टू पुत्र माले खां की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 पेश की है। पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां पैदा हुए जिनमें से इब्राहीम का देहान्त पल्टू के जीवन काल में हो गया। पल्टू के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 सुभान खां ने राजस्व कर्मचारियो से साज करते हुए जरिये इन्तकाल नं0 351 से विरासतन अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया। वादनी पल्टू के बडे पुत्र इब्राहीम की विधवा वारिस होने के आधार पर आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने

की अधिकारिणी है। कमली बेवा पल्टू, सुभानी , बसीरी पुत्रीयान पल्टू ने न्यायालय में अपना हस्व आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा उन्हे बतौर प्रतिवादी नं0 3,4,5 पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रतिवादी नं0 3,4,5 ने दिनांक 01/08/2018 को वादनी के दावा का जबाब पेश करते हुए अपने जबाब दावा में मद नं0 16 उल्लेख किया है कि " हमारा वाद पत्र मे वर्णित आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई संबन्ध नहीं है। " इसलिए वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 सुभान 1/2-1/2 हिस्सा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नं0 1 सुभान खां ने अपने जबाब दावा व अपने बयानो में आराजी मुतदाविया को " पल्टू की कब्जे काश्त व खातेदारी की होना । वादनी को पल्टू के पुत्र इब्राहीम की पत्नी होना इब्राहीम का फौत होना और इब्राहीम के मरने के बाद वादनी पल्टू के परिवार में रहते हुए आराजी मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। इस तथ्य को स्वीकार करता है । परन्तु प्रतिवादी नं0 1 वादनी हमीदी को उसका हिस्सा देने से इस आधार पर इंकार करता है कि " वादनी हमीदी ने इब्राहीम के मरने के दो साल मुझ प्रतिवादी नं0 1 से निकाह (नाता) कर लिया, मेरे व हमीदी के नुत्फे से एक लडका रफीक व एक लडकी मरियम पैदा हुई । लडकी मरियम गूजर गई और " रफीक " जिन्दा है। वादनी इब्राहीम की पत्नी थी इब्राहीम के मरने के दो साल बाद वादनी ने मुझ प्रतिवादी से निकाह कर लिया था पति के जीवित रहते हुए आराजी मुतदाविया में वादनी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि प्रतिवादीगण की यह बात मान ली जावे " कि हमीदी ने इब्राहीम के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 से नाता (निकाह) कर लिया " तब भी वह (वादनी) अपने मृत्तक पति के हिस्सा की जमीन की मालकिन रहेगी। दूसरा नाता करने पर उसके मृत्तक पति का हिस्सा अन्य किसी वारिसान में निहित नहीं होगा'वादनी को मृत्तक पति के हिस्सा आराजी पर खातेदार काश्तका घोषित किया जायेगा। RRD 1996 Page 328 pera No. 6. प्रतिवादी नं0 1 ने आराजी मुतदाविया से वादनी के हिस्से को हडपने व समाप्त करने के उद्देश्य से प्रतिवादी नं0 1 ने दौराने दावा व न्यायालय के स्थगन आदेश के बाबजूद दिनांक 14/06/2018 को आराजी मुतदाविया का दानपत्र अपनी पत्नी जरीना प्रतिवादी नं0 6 को कराया गया है उसे वादनी धारा 52 टीपी एक्ट के तहत अपने हिस्से तक अवैध व गैरकानूनी घोषित करा पाने की अधिकारी है। वादनी ने सन् 1999 में प्रतिवादीगण के खिलाफ न्यायालय में यह दावा पेश किया दिनांक 01/04/1999 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ, स्थगन आदेश जारी किया जाकर दिनांक 27/03/2000 को उभयपक्षो की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने स्थगन आदेश 01/04/1999 को ताफैसला मुकदमा कायम किया गया। दिनांक 27/03/2000 के निर्णय के खिलाफ प्रतिवादीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर के यहां अपील पेश की दिनांक 14/11/2000 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भरतपुर द्वारा प्रतिवादीगण की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये। इसके बाबजूद प्रतिवादी नं0 1 ने दिनांक 14/06/2018 को आराजी मुतदाविया का रजिस्टर्ड दान पत्र प्रतिवादी नं0 6 (अपनी पत्नी जरीना) को करा दिया जो कि स्पष्ट रूप से दौराने दावा व बाबजूद स्थगन आदेश कराया गया

Scanned with OKEN Scanner

है। जिससे प्रतिवादी नं0 6 को कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। दानपत्र दिनांक 14/06/2018 टी0पी0 एक्ट के धारा 52 के तहत अवैध व गैर कानूनी घोषित किये जाने योग्य है। RRD 1989 Page 224. "Document respect of disputed land executed during the pendency of Litigation between the parties concerned invalid" Proper entries made on the basis of the document are no value. इसलिए दान पत्र दिनांक 14/06/2018 को वादनी के हिस्से तक अवैध व गैर कानूनी घोषित फरमाया जावे। दौराने दावा वादनी हमीदी का देहान्त हो गया जिस पर प्रार्थी ने न्यायालय में दिनांक 28/12/2021 को प्रार्थना पत्र हस्व आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसका निर्णय करते वक्त न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18/01/2022 को प्रार्थी रफीक को वादनी का विधिक पुत्र वारिस होना स्वीकार किया इसके खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 03/01/2023 को प्रतिवादी नं0 1 की निगरानी का खारिज करते हुये न्यायालय के आदेश दिनांक 18/01/2022 को यथावत रखा प्रतिवादी नं0 1 ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 03/01/2023 के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन पेश की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21/12/2023 को प्रतिवादी नं0 1 की रिट को खारिज करते हुये रफीक को मृत्तक हमीदी का विधिक प्रतिनिधि वारिस उत्तराधिकारी मानते हुये उसके 1/2 हिस्सा को पाने का अधिकारी माना गया । जिसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21/12/2023 के पैरा नम्बर 4 में किया गया है। जिसकी वजह से रफीक मृत्तक वादनी का पुत्र वारिस होने के आधार पर आराजी मुतदाविया में 1/2 हिस्सा पाने का अधिकारी है।

वकील वादीगण की बहस का विरोध करते हुये वकील प्रतिवादीगण ने कहा कि आराजी मुतदाविया पल्टू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है हमीदी पल्टू के बडे पुत्र इब्राहीम की पत्नि थी इब्राहीम के मरने के दो साल बाद वादनी हमीदी ने मुझ प्रतिवादी से निकाह कर लिया व मुझ प्रतिवादी नं0 1 की पत्नि बन गई । मुझ प्रतिवादी के नुत्फे से हमीदी के एक लडका रफीक व एक लडकी मरीयम पैदा हुई लडकी मरियम गूजर गई है। रफीक जिन्दा है । वादनी मुझ प्रतिवादी नं0 1 की पत्नि व रफीक मेरा पुत्र है जिसे साबित करने के लिये मैंने दस्तावेज पेश किये है। जो पत्रावली पर संलग्न है। वादनी हमीदी मुझ प्रतिवादी नं0 1की पत्नि है पति के जीवित रहते हुये वादनी को कोई हक व हिस्सा नहीं मिलता है। अपने कथन के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 365, आर0आर0टी0 2017 (2) पेज 803, आर0आर0टी0 2009 (1) पेज 162, आर0आर0टी0 2016 पेज 364 पेश करते हुये दावा वादीगण को खारिज करने का निवेदन किया ।

Scanned with OKEN Scanner

हमने वकील फरीकेन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :-

तनकी संख्या 1 :- आया आराजी मुतदाविया पल्टू की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । वादीगण के प्रस्तुत दस्तावेज वादी एवं प्रतिवादीगण के कथनानुसार आराजी मुतदाविया पल्टू पुत्र माले खां की होना साबित है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :- आया पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां पैदा हुये जिनमें से इब्राहीम का देहान्त पल्टू के जीवन काल में हो गया था।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । वादीगण के प्रस्तुत दस्तावेज वादी एवं प्रतिवादीगण के कथनानुसार आराजी मुतदाविया पल्टू पुत्र माले खां की होना साबित है। पल्टू के दो लडके इब्राहीम व सुभान खां पैदा हुये जिनमें इब्राहीम का देहान्त पल्टू के जीवन काल में हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :- आया वादनी इब्राहीम पुत्र पल्टू की विधवा वारिस होने के आधार पर आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारणी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । इस तनकी के जबाब में तनकी नं0 6 जो प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर कायम की गई है। जिसका तनकी नं0 3 के साथ विवेचन किया जाना आवश्यक हैं । इस तनकी नम्बर 3 व 6 के सन्दर्भ में वादीगण का यह हमीदी इब्राहीम के मरने के बाद प्रतिवादी नं0 1 से निकाह कर लिया तब भी वह अपना हिस्सा प्राप्त करेगी । हमीदी इब्राहीम के मरने के पल्टू के परिवार में ही रही और आराजी मुतदाविया को पल्टू के परिवार में रहते हुये प्रतिवादी नं0 1 के साथ काश्त करती रही इस तथ्य को प्रतिवादी नं0 1 सुभान अपने बयान में स्वीकार करता है। इब्राहीम के मरने के बाद आराजी मुतदाविया पल्टू के परिवार को छोडकर अन्य जगह नहीं गई । कमली,सुभानी व बसीरी ने जबाब दावा की मद नं0 16 में आराजी मुतदाविया से अपना कोई संबन्ध नहीं होना का उल्लेख किया है। जिसकी वजह से पल्टू के 1/2 हिस्से को वादीगण व 1/2 हिस्सा को प्रतिवादी नं0 1 पाने का अधिकारी है। यह तथ्य साबित होता है कि हमीदी इब्राहीम पुत्र पल्टू की पत्नि व रफीक हमीदी से जन्मा पुत्र वारिस है जिसको माननीय राजस्व उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27/12/2023 को मृत्तक हमीदी का विधिक प्रतिनिधि वारिस माना गया है एवं प्रतिवादी नं0 1 भी स्वयं स्वीकार करता है कि रफीक का जन्म हमीदी के पेट से हुआ । इसलिए रफीक मृत्तक हमीदी के हिस्सा को पाने का अधिकारी प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :- आया वादनी आराजी मुतदाविया का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक खाता कायम करा पाने की अधिकारणी है।

Scanned with OKEN Scanner

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । तनकी विभाजन के अनुतोष से संबन्धित होने के कारण व तनकी नं0 1,2,3,वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 :– आया वादनी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने की अधिकारणी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । तनकी डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से संबन्धित होने के कारण व तनकी नं0 1,2,3,4 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 5 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 :– आया वादनी इब्राहीम की पत्नि थी इब्राहीम के मरने के दो साल बाद वादनी ने मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के साथ निकाह कर लिया था पति के जीवित रहते हुये वादनी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के संदर्भ में प्रतिवादीगण व वादीगण द्वारा कानूनी दृष्टान्त पेश किया गया है उसका अवलोकन किया गया । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है बल्कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त चस्पा होते है। जिसका विवेचन तनकी संख्या 3 में किया जाकर तनकी नं0 3 को वापक्ष वादीगण तय की जा चुकी है इसलिये तनकी संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7 :– आया प्रतिवादी संख्या 3,4,5 ने अपने–अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 को हमेशा–हमेशा के लिये कब्जा काश्त हेतु बता दिया था अब हमारा वाद पत्र वर्णित आराजी मुतदाविया से कोई संबन्ध नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार प्रतिवादी नं0 1 पर है । इस तनकी को साबित करने के लिये प्रतिवादी नं01 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। जिससे प्रतिवादी नं0 3,4,5 ने अपना हिस्सा उन्होने हमेशा के लिये काश्त पर देना साबित होता हो। ना ही प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 3,4,5 को उनके जबाब के समर्थन कराने हेतु उनको बतौर गवाहन पेश नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 8 :– आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दौराने दावा एवं स्थगन आदेश के दिनांक 14/06/2018 को जो दान पत्र प्रतिवादी संख्या 6 को कराया है उसे वादनी धारा 52 के तहत अवैध व गैर कानूनी घोषित करा पाने की अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने के भार वादीगण पर है । प्रतिवादी नं0 1 द्वारा जो दिनांक 14/06/2018 को जो दान पत्र प्रतिवादी संख्या 6 को कराया है वह दान पत्र दौराने दावा व बाबजूद स्थगन आदेश के कराया जाना साबित है। जिसे धारा 52 टी0पी0एक्ट के तहत 1/2 हिस्सा तक अवैध व गैर कानूनी घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

9 :– दादरसी :– तनकी संख्या 1,2,3,4,5,6,7,8 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ।ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है वादी को आराजी खसरा नम्बर 219/0–17 (0.14), 222/1–12 (0.24), 348/2–19(0.48), 223/1–12 (0.26) 375/1–18 (0.31) ,383/0–18 (0.15) 385/0–16 (0.13), 426/0–14 (0.11), 441/0–15 (0.12), 520/0–09 (0.07), 532/2–05 (0.36), 553/1–16 (0.29), 554/1–07 (0.18) ,555/1–04 (0.19), 566/1–03 (0.19), 569/1–02 (0.18), 576/1–02 (0.18), 589/1–05 (0.17), 202/0–10 (0.10),206/0.18, 207/0.16, 210/0.40, 211/0.14 (0.11), 214/0–14 (0.11), 215/0–14 (0.12), 218/0–17 (0.14) किता 26 रकबा 31 बीघा , 04 विस्वा (एयर) बांके ग्राम डाठैट तहसील पहाडी के 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा दान पत्र दिनांक 14/06/2018 को 1/2 हिस्सा तक अवैध व गैर कानूनी घोषित किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)